रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 313] नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 1972/आषाढ़ 7, 1894
No. 313] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 1972/ASADHA 7, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 1972

No. 447(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

In pursuance of the provisions of article 280 of the Constitution of India and of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951), the President is pleased to constitute a Finance Commission consisting of Shri K. Brahmananda Reddi, former Chief Minister of Andhra Pradesh, as the Chairman and the following four other Members, namely:—

1. Shri Justice Syed Sadat Abul Masud, Judge, Calcutta High Court.
2. Dr. B. S. Minhas, Member, Planning Commission.
3. Dr. I. S. Gulati, Senior Fellow, Centre for Development Studies, Trivandrum.
4. Shri G. Ramachandran—Member Secretary.

2. The Chairman and other Members of the Commission shall hold office from the date on which they respectively assume office upto the 31st day of October, 1973.

3. The Chairman and Members of the Commission except Dr. B. S. Minhas and Dr. I. S. Gulati shall render whole-time service to the Commission. Dr. B. S. Minhas shall render part-time service as Member of the Commission. Dr. I. S. Gulati shall render part-time service as Member of the Commission until such date as the Central Government may specify in this behalf and thereafter he shall render whole-time service to the Commission.

4. The Commission shall make recommendations as to the following matters:

(a) the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be, or may be, divided between them under Chapter I of Part XII of the Constitution and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds;

(b) the principles which should govern the grants-in-aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India and the sums to be paid to the States which are in need of assistance by way of grants-in-aid of their revenues under article 275 of the Constitution for purposes other than those specified in the provisos to clause (1) of that article having regard, among other considerations, to—

(i) the existing practice in regard to determination and distribution of Central assistance for financing State Plans;

(ii) the revenue resources of those States for the five years ending with the financial year 1978-79 on the basis of the levels of taxation likely to be reached at the end of the financial year 1973-74;

(iii) the requirements on revenue account of those States to meet the expenditure on administration taking also into account such provision for employments of Government employees, teachers and local body employees as obtaining on a specified date as the Commmission deem it proper in the light of the States' capacity and needs, interest charges in respect of their debt, transfer of funds to local bodies and aided institutions and other committed expenditure;

(iv) adequate maintenance and upkeep of capital assets and maintenance of Plan schemes completed by the end of 1973-74, the norms, if any, on the basis of which specified amounts are allowed for the maintenance of different categories of capital assets being indicated by the Commission;

(v) the requirements of States which are backward in standards of general administration for upgrading the administration with a view to bringing it to the levels obtaining in the more advanced States over a period of ten years; and

(vi) the scope for better fiscal management and economy consistent with efficiency which may be effected by the States in their administrative maintenance, developmental and other expenditure;

(c) the changes, if any, to be made in the principles governing the distribution amongst the States of the grant to be made available to the States in lieu of tax under the repealed Railway Passenger Fares Tax Act, 1957;

(d) the changes, if any, to be made in the principles governing the distribution amongst the States under article 269 of the Constitution of the net proceeds in any financial year of estate duty in respect of property other than agricultural land;

(e) the changes, if any, to be made in the principles governing the distribution of the net proceeds in any financial year of the additional excise duties leviable under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957, on each of the following commodities, namely:—

(i) cotton fabrics,

(ii) woollen fabrics,

(iii) rayon or artificial silk fabrics,

(iv) sugar, and

(v) tobacco including manufactured tobacco,

in replacement of the States' sales taxes formerly levied by the State Governments :

Provided that the share accruing to each State shall not be less than the revenue realised from the levy of sales tax for the financial year 1956-57 in that State; and

(f) the principles governing the distribution among the States of the grant to be made available to the States on account of wealth tax on agricultural property.

5. The Commission may make an assessment of the non-Plan capital gap of the States on a uniform and comparable basis for the five years ending with 1978-79. In the light of such an assessment, the Commission may undertake a general review of the States' debt position with particular reference to the Central loans advanced to them and likely to be outstanding as at the end of 1973-74 and suggest changes in the existing terms of repayment having regard *inter alia* to the overall non-Plan gap of the States, their relative position and the purposes for which the loans have been utilised, and the requirements of the Centre.

6. The Commission may review the policy and arrangements in regard to the financing of relief expenditure by the States affected by natural calamities and examine *inter alia* the feasibility of establishing a National Fund to which the Central and State Governments may contribute a percentage of their revenue receipts.

7. The Commission in making its recommendations on the various matters aforesaid shall have regard to the resources of the Central Government and the demands thereon on account of the expenditure on civil administration, defence and border security, debt servicing and other committed expenditure or liabilities.

8. The Commission shall make its report by 31st October 1973 on each of the matters aforesaid and covering a period of five years commencing from the 1st day of April, 1974, indicating the basis on which it has arrived at its findings and make available the State-wise criteria adopted in making modifications, if any, in the States' forecasts of receipts and expenditure.

V. V. GIRI,
President.

[No. F. 13(1)-B/72.]

I. G. PATEL,
Secy. (Economic Affairs).

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 1972

का० आ० 447(अ).—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 और वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) के उपबंधों के अनुसरण में, राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी, भूतपूर्व मुख्य मंत्री, आन्ध्र प्रदेश की अध्यक्षता में एक वित्त आयोग स्थापित किया है जिसके अन्य चार सदस्य ये होंगे :—

1. श्री न्यायमूर्ति सैयद सादत अबुल मसूद,
 न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय ।
2. डा० बी० एस० मिन्हास,
 सदस्य, आयोजना आयोग ।

3. डा० आई० एस० गुलाटी,
सीनियर फैलो,
विकास अध्ययन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम ।

4. श्री जी० रामचन्द्रम——सदस्य-सचिव

2. आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य जिस तारीख को अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, उस तारीख से ले कर 31 अक्टूबर, 1973 तक अपने-अपने पद धारण करेंगे ।

3. डा० बी० एस० मिन्हास और डा० आई० एस० गुलाटी को छोड़ कर अन्य सदस्य और अध्यक्ष आयोग को पूर्णकालिक सेवा प्रदान करेंगे । डा० बी० एस० मिन्हास आयोग के सदस्य के रूप में अंशकालिक सेवा प्रदान करेंगे । डा० आई० एस० गुलाटी आयोग सदस्य के रूप में उस तारीख तक अंशकालिक सेवा प्रदान करेंगे जो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार निर्धारित करेगी और उसके बाद वे आयोग को पूर्णकालिक सेवा प्रदान करेंगे ।

4. आयोग निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सिफारिशें करेगा :——

(क) संघ और राज्यों के बीच उन करों से प्राप्त होने वाली शुद्ध राशियों का बंटवारा जो संविधान के भाग XII के अध्याय 1 के अन्तर्गत उनके बीच बांटे जाया करते हैं या बांटे जा सकते हैं, और इस प्रकार प्राप्त हुई राशियों में प्रत्येक राज्य के हिस्से का निर्धारण ;

(ख) वे सिद्धान्त जिनके आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को उनके राजस्व के सहायक अनुदान दिए जाने चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों से उन राज्यों की दी जाने वाली धनराशि जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत उनके राजस्व संबंधी सहायक अनुदानों के रूप में सहायता की जरूरत है । इसके सम्बन्ध में सिफारिशें करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातों का ध्यान भी रखा जाना चाहिए :——

(i) राज्यों की आयोजनाओं के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय सहायता के निर्धारण और वितरण के सम्बन्ध में मौजूदा पद्धति ;

(ii) उन राज्यों में 1973–74 के वित्तीय वर्ष के अन्त में कराधान के संभाव्य स्तर पर आधारित, उनके 1978–79 के वित्तीय वर्ष के अन्त में समाप्त होने वाले पांच वर्षों के लिए राजस्व साधन ;

(iii) राज्यों की क्षमता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग द्वारा उचित रूप से निर्धारित, एक विशिष्ट तारीख की स्थिति के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों शिक्षकों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन-भत्तों आदि के लिए ऐसी व्यवस्था को हिसाब में लेते हुए, प्रशासन के व्यय, उनके ऋण के ब्याज के खर्च, स्थानीय निकायों और सहायता-प्राप्त संस्थाओं को धन के अन्तरण सम्बन्धी खर्च तथा अन्य बचनबद्ध व्यय को पूरा करने के लिए इन राज्यों की राजस्व खाते की आवश्यकताएं;

(iv) पूंजीगत परिसम्पत्तियों का समुचित अनुरक्षण और रख-रखाव तथा 1973–74 तक पूरी होने वाली आयोजनागत योजनाओं का अनुरक्षण, ऐसे प्रतिमान (नार्म), यदि कोई हों जिनके आधार पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली विभिन्न श्रेणियों की पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए निर्दिष्ट धन-राशियां स्वीकार की जाती हैं ।

(5) जो राज्य सामान्य प्रशासन के स्तर की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उन्हें अपेक्षाकृत अधिक उन्नत राज्यों के स्तर तक ऊंचा उठाने के उद्देश्य से उनके प्रशासन को दस वर्ष की अवधि में उन्नत करने के लिए उनकी आवश्यकताएं ; और

(6) राज्यों द्वारा, कार्यकुशलता को बनाए रखते हुए, अपने प्रशासनिक व्यय, अनुरक्षण और विकास सम्बन्धी व्यय तथा अन्य खर्चों में की जा सकने वाली किफायत और राजस्व सम्बन्धी बेहतर प्रबंध की गुंजाइश;

(ग) निरसित रेल यात्री भाड़ा कर अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत लगने वाले कर के स्थान पर राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के राज्यों के बीच बंटवारे के सिद्धांतों में किए जाने वाले कोई परिवर्तन ;

(घ) कृषि-भूमि से भिन्न सम्पत्ति सम्बन्धी संपदा शुल्क के रूप में किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त शुद्ध राशियों के, संविधान के अनुच्छेद 269 के अन्तर्गत राज्यों के बीच बंटवारे के सिद्धांतों में किए जाने वाले कोई परिवर्तन ;

(ङ) निम्नलिखित वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु पर, राज्यों के बिक्री करों के स्थान पर, जो पहले राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते थे, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत लगाए जा सकने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त शुद्ध राशियों के बंटवारे के सिद्धांतों में किए जाने वाले कोई परिवर्तन :—

(1) सूती कपड़ा,
(2) ऊनी कपड़ा,
(3) रेयन या नकली रेशम का कपड़ा,
(4) चीनी, और
(5) तम्बाकू, जिसमें निर्मित तम्बाकू भी शामिल है ;

किन्तु प्रत्येक राज्य को मिलने वाला हिस्सा उस राज्य में 1956-57 के वित्तीय वर्ष में बिक्री-कर लगाए जाने से वसूल हुए राजस्व से कम नहीं होगा; और

(च) कृषि संपत्ति पर लगाए जाने वाले धन-कर के लेखे राज्यों को उपलब्ध किए जाने वाले अनुदान का राज्यों के बीच बंटवारा करने के सिद्धान्त ।

5. आयोग 1978-79 के वर्ष के साथ समाप्त होने वाले पांच वर्षों के लिए, एक समान और तुलनात्मक आधार पर, राज्यों के आयोजना-भिन्न पूंजीगत अंतर (गैप) का निर्धारण कर सकता है । ऐसे निर्धारण को ध्यान में रखते हुए, आयोग उन केन्द्रीय ऋणों के विशेष संदर्भ में, जो राज्यों को दिए गए हैं और जिनके 1973-74 के अंत में बकाया रहने की संभावना है, राज्यों की ऋण सम्बन्धी स्थिति की सामान्य समीक्षा कर सकता है और अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों के समग्र आयोजना-भिन्न अन्तर, उनकी सापेक्षिक स्थिति और उन प्रयोजनों को, जिनके लिए ऋणों का उपयोग किया गया है, तथा केन्द्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वापसी अदायगी की मौजूदा शर्तों में परिवर्तन का सुझाव दे सकता है ।

6. आयोग दैवी विपत्तियों से प्रभावित राज्यों द्वारा किये जाने वाले राहत-व्यय के वित्तपोषण से संबंधित नीति और प्रबंधों की समीक्षा कर सकता है और अन्य बातों के साथ-साथ, एक ऐसा राष्ट्रीय कोष स्थापित करने की संभावना की जांच कर सकता है जिसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें अपनी राजस्व-प्राप्तियों का कुछ प्रतिशतांश अंशदान करें ।

7. उपर्युक्त विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें करते समय, आयोग केन्द्रीय सरकार के साधनों को और उस पर असैनिक प्रशासन, रक्षा और सीमाओं की सुरक्षा, ऋण-परिशोधन और अन्य वचनबद्ध या देनदारियों के बोझ को ध्यान में रखेगा ।

8. आयोग उपर्युक्त प्रत्येक विषय पर पहली अप्रैल 1974 से शुरू होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए 31 अक्टूबर 1973 तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और वह रिपोर्ट में निकाले गए अपने निष्कर्षों के आधार का निर्देश करेगा तथा वह राज्यों की आय और व्यय के पूर्वानुमानों में कोई परिवर्तन करेगा तो उसके सम्बन्ध में उसने राज्य-वार जो मानदण्ड अपनाए होंगे उनका उल्लेख करेगा ।

वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[सं० फा० 13(1)-बी/72]
आई० जी० पटेल,
सचिव (आर्थिक कार्य) ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972